12 A Certificate

फा०नं० 40(II)/निबन्धन/12ए आर/88-89/सी आई बी/ कार्यालय आयकर आयुक्त
मेरठ ।
दिनांक 16-2-1989

(नाम व पूरा पता)

मै० उत्तर क्षेत्रीय समाज विकास केन्द्र, मकान नं० २२, सैक्टर-३७, अरुण विहार, नौयडा (जिला-गाजियाबाद) ।

दिनांक 6.1.89 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 (क) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में अपना पंजीकरण आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर ---------- ~~दिन देरी से~~ प्रस्तुत किया है । ~~चूँकि न्यास/संस्था ने देरी से पंजीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारण दिये थे । इसलिए देरी क्षमा की गयी है । देरी से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पर्याप्त कारण नहीं दिये हैं । इसलिए आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है ।~~

2. आवेदन पत्र की कार्यालय में रखे गये धारा 12(क) के अधीन आवेदन पत्र रजिस्टर में क्रम सं० 16/12ए आर/88-89 पर प्रविष्ट की गयी है ।

ह०/-
(सुरेन्द्र नाथ भार्गव)
आयकर आयुक्त, मेरठ ।

आयकर आयुक्त की मोहर

2365

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. न्यास/संस्था को उपरोक्त पते पर ।
उनसे अनुरोध है कि कृपया यह बतायें कि क्या न्यास/संस्था आयकर सूची में है यदि ऐसा हो तो कृपया लेखा संख्या भी बतायें ।

2. ~~आयकर अधिकारी वार्ड~~ ----------/सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज II, गाजियाबाद को न्यास/संस्था से प्राप्त लेखा विवरण तथा संगठन की एक प्रति आदि संलग्न करते हुए । कि यथा आवश्यक कार्यवाही करें ।

3. आयकर उपायुक्त ---- गाजियाबाद ---- को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए ।

(आर० के० जैन)
सहायक आयकर आयुक्त
(केन्द्रीय भवन [illegible])
कृते आयकर आयुक्त, मेरठ ।